भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 897

दिनांक 27.06.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

एसबीएम संबंधी ब्यौरा

897. श्री जी० एम० सिद्देश्वराः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश भर में स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे सहित मिशन की स्थिति का कर्नाटक सहित राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) मिशन के तहत किए गए लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मिशन के तहत पहचाने जाने वाले मुख्य संसाधन केंद्र (केआरसी) की राज्य–वार संख्या कितनी है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] का प्रारंभ दिनांक 02 अक्तूबर, 2014 को किया था जिसका लक्ष्य देश में सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध कराकर 02 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) भारत की स्थिति प्राप्त करना है। यह एक मांग चालित स्कीम है, अत: इसमें वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। एसबीएम (जी) के अंतर्गत, दिनांक 21.06.2019 तक 9.58 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज जो 2.10.2014 को 38.7% था यह बढ़कर 99% से अधिक हो गया है तथा 30 राज्यों, 619 जिलों, 6,174 ब्लॉकों, 2,50,133 ग्राम पंचायतों और 5,65,395 गांवों को ओडीएफ घोषित किया गया है। चूंकि एसबीएम (जी) एक मांग चालित स्कीम है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत, निधियों का राज्य-वार नियत आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, पिछले चार वर्षों के दौरान एसबीएम (जी) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय शेयर निधियों तथा कर्नाटक सहित राज्यों/संघ-राज्यों द्वारा उनके उपयोग का विवरण, जैसा कि एसबीएम (जी) की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है, **अनुलग्नक** पर दिया गया है।

(ग) सरकार ने 36 प्रमुख संसाधन केंद्रों (केआरसी) को सूचीबद्ध किया है जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में विशेष एजेंसियां हैं। राज्य सरकार राज्य, जिला और गांव के स्तर पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसी एक अथवा इन सभी एजेंसियों को शामिल कर सकती है।

अनुलग्नक

27-06-2019 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 897 के उत्तर के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान एसबीएम (जी) के तहत जारी तथा प्रयुक्त निधियों का राज्य/सघ राज्य क्षेत्रवार केन्द्रीय शेयर

(करोड़ रु. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2016-17**		**2017-18**		**2018-19**	
	रिलीज	**उपयोग किया गया**	**रिलीज**	**उपयोग किया गया**	**रिलीज**	**उपयोग किया गया**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3.00	0.20	30.72	5.92	6.05	7.33
आंध्र प्रदेश	342.21	415.07	1219.88	1255.91	1381.11	736.34
अरुणाचल प्रदेश	65.09	65.05	137.30	57.09	51.31	69.74
असम	747.58	568.23	1171.95	721.63	882.09	891.54
बिहार	131.86	148.69	875.92	153.80	2943.69	2494.47
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छतीसगढ़	584.46	408.88	677.83	570.47	448.50	168.21
दादर एवं नगर हवेली	0.00	0.00	17.68	0.00	0.65	16.59
दमन एवं दीव	0.00	0.00	2.00	0.00	0.19	1.79
गोवा	0.00	0.00	0.52	5.77	0.00	0.00
गुजरात	751.23	626.48	466.04	395.60	192.92	152.57
हरियाणा	68.79	34.20	39.66	34.43	70.24	28.50
हिमाचल प्रदेश	117.30	81.37	20.68	24.44	0.00	17.08
जम्मू एवं कश्मीर	59.51	53.19	202.38	164.53	278.37	231.67
झारखंड	455.46	423.44	698.66	560.57	753.02	388.72
कर्नाटक	419.56	399.53	983.39	773.39	739.73	450.56
केरल	196.28	137.52	59.36	17.92	12.47	46.54
लक्षद्दीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	1210.77	1121.10	1380.61	757.38	590.94	780.96
महाराष्ट्र	528.94	616.11	1235.34	839.04	1352.92	911.28
मणिपुर	27.28	4.54	77.02	6.10	75.06	37.76
मेघालय	75.70	41.13	153.89	77.06	0.00	77.12
मिजोरम	10.98	4.31	46.24	31.73	12.73	19.14
नागालैंड	64.12	44.12	71.41	8.28	59.93	61.93
ओडिशा	863.65	868.28	457.02	463.61	1367.62	731.54
पुडुचेरी	0.00	2.65	50.25	9.37	0.00	20.28
पंजाब	197.02	73.26	283.48	42.99	0.00	44.52
राजस्थान	777.30	1065.63	981.51	848.21	865.88	350.19
सिक्किम	6.87	2.85	12.98	1.01	1.96	3.09
तमिलनाडु	537.02	506.17	865.94	784.86	760.99	416.16
तेलंगाना	135.72	173.63	481.94	305.68	515.05	263.70
त्रिपुरा	24.98	20.03	24.00	16.32	116.93	106.21
उत्तर प्रदेश	1153.33	1131.74	3155.37	2688.06	7414.07	4468.24
उत्तराखंड	348.05	149.55	146.69	175.05	65.80	98.25
पश्चिम बंगाल	655.50	838.58	583.23	431.46	534.25	165.69
कुल	**10559.58**	**10025.49**	**16610.88**	**12227.70**	**21494.48**	**14257.70**